न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 01/2025

मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज वाके ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये पुजारी भीम जोशी उम्र 52साल पुत्र रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।

प्रार्थी,

बनाम

1. ममता पुत्री बाबुलाल।
2. विजय कुमार पुत्र बाबुलाल।
3. संजय कुमार पुत्र बाबुलाल।
   समस्त जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. जयराम खोवाल पुत्र मोहरी लाल जाति धोबी नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश स्वामी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. ,, हरफुल सिंह खीचड़ अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से।

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 10.09.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज वाके ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है,जो चिरअवयस्क है जिसकी ओर से पुजारी भीम जोशी को मंदिर मूर्ति के अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 2037, 2038, 2039, 2044, 2049 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4300 है0 व कृषि भूमि ख0नं0 1991, 1994, 2011, 2012 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 है0 वाके ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़, सीकर व कृषि भूमि ख0नं0 441, 442 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8100 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तह0 दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है, जिसपर प्रार्थी मूर्ति मंदिर उक्त भूमियों के चारों ओर पुख्ता नीव–सींव कायम कर पुख्ता डोल व तारबंदी कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त जरिये पुजारी चला आ रहा है। अप्रार्थीगण जमीनों के खरीद फरोख्त का काम करते है तथा भूमियों के फर्जी व कूटरचित

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

दस्तावेजात तैयार कर भूमियों को मौके पर विवादित कर उस पर बलात कब्जा करने का कार्य करते रहते है। अप्रार्थीगण ने अन्य भू माफिया गिरोह के सदस्यों से मिलकर प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी की प्रश्नगत भूमियों पर कुदृष्टि सदैव से रही है। इसी कारण से उन्होनें फर्जी व कूटरचित आपस में लिखावटे कर भूमियों को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा मूर्ति मंदिर के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमियों को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करके लिखावटों से विक्रय, अंतरित प्रभारित व लीज आदि बनाकर भूमियों को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण उन्हें ऐसा न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित आए तथा जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 स्वीकार है। मद सं0 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। मद सं0 3 ता 8 गलत होने से अस्वीकार हैं मद सं0 9 कानूनी है। विशेष कथन में अंकित किया है कि भीम जोशी पुत्र रामचन्द्र जोशी का मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथजी महाराज शिश्यू से कोई संबंध सरोकार नहीं है। भीम जोशी का पिता रामचन्द्र ही आनन्दीलाल नि0 इंदौर के यहां गोद चला गया था। मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथजी के पुजारी जगदीश पुत्र दल्लाराम 1/4 हिस्सा, गोपी वल्द मोती 1/4 हिस्सा, बालू पुत्र पन्ना 1/4 हिस्सा ,हेमा, घडसी पुत्रगण रामसुख 1/4 हिस्सा के अनुपात में थे। सभी के द्वारा मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथजी के खाते कब्जे काश्त की भूमियों को पुजारीगण की हैसियत से काश्त किया जा रहा है एंव पुजारी बालू का एक पुत्र रामचन्द्र जो कि भीम जोशी का पिता है। वह बाल्यावस्था में ही आनन्दीलाल नि0 इंदौर के यहां गोद चला गया था। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 पुजारी गोपी पुत्र मोतीराम के पुत्र बाबूलाल के पुत्र पुत्रियां है। पुजारियों द्वारा मूर्ति मंदिर की भूमियों का काश्त किया जाने के अनुक्रम में ही अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमियों में से भूमिया ख0नं0 2037, 2038,2039, 2044, 2049 कुल किता 5 कुल रकबा 2.43 है0 जिनका वर्तमान खाता संख्या 463 है, को बहैसियत पुजारी काश्त किया जा रहा है। जिसका उल्लेख भूमियों के पुजारी विवरण रजिस्टर में स्पष्ट रूप से अंकित है। भीम जोशी द्वारा प्रस्तुत झूंठे मुकदमें के साथ पेश किये गये न्यायालय अति0जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा दिनाकं 29.06.2022 को जारी प्रपत्र 12 (अ) तथा आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 15.09.22 को जारी प्रमाण पत्र प्रपत्र 12 (अ) अवैध रूप से बाला–बाला महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए जारी करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर उसके विरूद्ध अपील मान0 राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष अपील सं0 2286/2025 पेश कर दी गई है। भीम जोशी द्वारा मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी के खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि में से कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 2039/3457, 2042, 2043, 2044/3458, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049/3459, 2051, 2052 कुल

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

किता 11 कुल रकबा 3.32 है0 वाके ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर की खातेदारी अपने स्वंय एंव बहन किरण के वारिसान भावना व हेमन्त के नाम अवैध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा रखी है। जिस निमित न्याया0 अति0 कलक्टर, सीकर के यहां रेफरेंस प्रा0 पत्र सं0 15/2025 जयराम खोवाल आदि बनाम भावना आदि पेश किया हुआ है। भीम जोशी स्वंय द्वारा मूर्ति मंदिर के हितों के विपरीत कार्यवाही की जा रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जो भूमियां मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उन पर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 पुजारी परिवार के सदस्य होने के बावजूद तथा स्वंय का पुजारी परिवार से कोई वास्ता नहीं होने के बावजूद झूंठा मुकदमा पेश करके भूमियों पर बलात कब्जा कर उक्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने की कुचेष्टा की जा रही है। भीम जोशी द्वारा प्रस्तुत झुंठा मुकदमा मिथ्या, निराधार एंव मनगंढत अभिकथनों के आधार पे पेश किया है। जवाब आवेदन पेश कर प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत विशेष कथन का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विशेष कथन की मद सं0 1 जिस प्रकार से लिखी है, गलत होने से अस्वीकार है। वकील प्रार्थी द्वारा जवाब विशेष कथन पेश कर निवेदन किया हे कि अप्रार्थीगण द्वारा मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी वाके शिश्यू की दावे में प्रश्नगत भूमियों को हड्पने की नियत से यह जवाब आवेदन व विशेष कथन तथ्यों को छुपाते हुए अंकित कर अनुतोष चाहा है, जो कानूनन गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विशेष कथन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरा दावा मात्र धारा 188 का है। वर्तमान में खातेदारी मंदिर के नाम दर्ज है। मूर्ति मंदिर नाबालिक है। पूजारी, काश्तकार, ग्रामवासी, तहसीलदार, सरकार चिर अवयस्क की सुरक्षा करे। अप्रार्थीगण आये दिन हमें परेशान करते है। उनको पाबन्द किया जावे कि वे हमारी कब्जे काश्त में दखल ना करे। इनको पावन्द किया जावे कि वे किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। समस्त दस्तावेज में मेरे पक्ष में है। ताफैसला दावा टी0आई0 को स्वीकार करे एंव ताफैसला टी0आई0 रखी जावे। भगवान की जमीन जो सेवा समिति को लीज पर देने का उनको कोई हक नहीं है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि यह दावा केवल धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का है। कोर्ट में क्लीन हैंड से आना होता है। इसमें केवल चार खसरा नम्बर का ही उल्लेख किया है। भूमि गोपीनाथ के कब्जे काश्त की जमीन थी। पहली जमाबंदी में चार खातेदार है। जगदीश पुत्र दल्लाराम 1/4 हि0 गोपी पुत्र मोती 1/4 हि0 बालू पुत्र पन्ना 1/4 हि0 हेमा पुत्र रामसुखा 1/4 हि0 । भीमजोशी के पिता रामचन्द्र था। रामचन्द्र बालू का बेटा था। रामचन्द्र के पिता बालू गोद चले गये थे। गोपी का बेटा बाबूलाल है। बाबूलाल के वारिस प्रतिवादीगण है। चारों पूजारियों ने आपस में भूमि का विभाज़न भी कर लिया । मेरा विवाद चार खसरों का है। पूजारी की लिस्ट में मेरा नाम है। हमारी जमीन तो मंदिर के नाम से चढा दी और अपनी रख ली। मंदिर की ओर से हम काश्त कर रहे है। वादी का इनका कोई लेना–देना नहीं है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधिनियम बाबत पेश किया है, जिसमें जवाब पेश हो चुका है तथा वर्तमान में वाद में तनकी निर्धारित की जाकर साक्ष्य/सबूत एंव मेरिटस के आधार पर वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना है। चूंकि विवादग्रस्त भूमियां जो कि प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी वाके शिश्यू की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 2037, 2038, 2039, 2044, 2049 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4300 है0 एंव ख0नं0 1991, 1994, 2011, 2012 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9000 है0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर व कृषि भूमि ख0नं0 441, 442 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8100 है0 ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर